



क्षेत्रीय कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-183/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोपाल कुमार मोदी पुत्र श्री मोहन लाल मोदी खनन पट्टा संख्या 53/2021 ग्राम एकलसिंगा द्वारा एकलसिंगा, नायकी, मेवदाकलां एवं केकड़ी ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री गोपाल कुमार मोदी पुत्र श्री मोहन लाल मोदी खसरा संख्या 858 एवं 863	53/2021	1.9742	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	419399
2	मैसर्स. मुन्नी पुंगल माइंस एवं ग्रेनाइट्स	20/2018	1.6336	मेवदाकलां	ग्रेनाइट	240000
3	मैसर्स ए.बी. ग्रेनाइट्स	37/2018	1.9949	मेवदाकलां	ग्रेनाइट	284746
4	श्री घनश्याम सैनी	19/2018	1.5495	नायकी	ग्रेनाइट	189216
5	मैसर्स राठौड़ ब्रदर्स	21/2018	2.8341	नायकी	ग्रेनाइट	203000
6	श्री शंकर	55/2018	2.2847	नायकी	ग्रेनाइट	279450
7	श्री नाथुलाल चौधरी	12ए/2013	1.00	नायकी	ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन	77000
8	मैसर्स ए.जी. माइंस एवं मिनरल्स	23/2018	1.4143	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	99006
9	मैसर्स सवाई भोज ग्रेनाइट्स	31/2018	1.3006	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	182127
10	श्री गिरिराज ग्रेनाइट्स	57/2018	1.5835	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	421686
11	मैसर्स सत्य सुमन मार्बल एवं ग्रेनाइट्स	86/2018	1.0025	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	128294
12	श्री सागर शर्मा	119/2018	1.0229	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	166964
13	मैसर्स श्री तिरुपति ग्रेनाइट्स माइंस	18/2019	1.3848	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	60060
14	मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट्स	22/2019	1.4797	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	203212
15	श्री जगदीश बैरवा	07/2019	1.0144	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	52650
16	श्री शिवराज गुर्जर	28/2018	1.0001	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	251206
17	मैसर्स बासारानी ग्रेनाइट्स	108/2018	1.1751	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	272764
18	मैसर्स अदिति ग्रेनाइट्स	70/2018	1.00	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	200000
19	श्री प्यारेलाल रैगर	18/2018	1.0006	मेवदाकलां	ग्रेनाइट	200000
20	श्री प्रेमनाथ बंसल	41/2018	1.2699	एकलसिंगा	ग्रेनाइट	183333
21	मैसर्स एस.डी. मिनरल्स	56/2018	1.3452	मेवदाकलां	ग्रेनाइट	260000
22	श्री आलोक मोदी	99/2018	2.3258	नायकी	ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन	301392
23	मैसर्स श्री माइनिंग स्टोन	104/2018	2.9945	नायकी	ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन	301392
24	मैसर्स धनवर्षा ग्रेनाइट्स	27/2018	1.2247	केकड़ी	ग्रेनाइट	240000

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 36.8096 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-5216897 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम एकलसिंगा, नायकी, मेवदाकलां एवं केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री गोपाल कुमार मोदी पुत्र श्री मोहन लाल मोदी खनन पट्टा संख्या 53/2021 ग्राम एकलसिंगा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

ध.

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2022/9241 दिनांक 02.08.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19/09/2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।



(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी